कार्यालय- प्रधानाचार्य,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पीलीभीत।

पत्रांकः– भण्डार/सा0 नीलामी/2021/ दिनांकः–15.01.2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में अनुपयोगी साज–सज्जा/मशीन/फर्नीचर/विभिन्न स्कैप इत्यादि की (जहां है जैसा है के आधार पर) सार्वजनिक नीलामी की जानी है। नीलामी संस्थान में दिनांकः–03.02.2021 को समिति के समक्ष अपरान्ह 01:00 बजे निम्न शर्तो के अधीन की जायेगी।

शर्ते एवं नियम निम्नवत हैः–

1. इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व धरोहर धनराशि रू0 10,000/–(दस हजार) नगद जो की रिफन्डेवल होगा संस्थान के कैशियर के पास जमा करानी होगी।
2. नीलामी में सम्मिलित प्रत्येक बोलीदाताओ को फर्म का टिन नं0,पैन नं0 एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त) इत्यादि अभिलेख धरोहर धनराशि जमा करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. निष्प्रयोज्य साम्रगी का निरीक्षण संस्थान परिसर में नीलामी तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से 01:00 तक कर सकते है।
4. नीलामी समाप्त होने के पश्चात अन्तिम बोलीदाता तुरन्त उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुये) संस्थान के कैशियर के पास जमा कराना होगा। उक्त धनराशि नही जमा करने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करली जायेगी।
5. अन्तिम नीलामी बोली का शेष 75 प्रतिशत धन राशि तथा बिकी कर एवं अन्य कर नीलामी प्रकिया का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर नीलामी बोली दाता को संस्थान में जमा करना होगा।
6. नीलामी की वस्तुओं को विलम्बत्म 10 दिन के अन्दर संस्थान के भण्डार से स्वयं के व्यय पर उठाना होगा। 10 दिन के भीतर न उठाने की दशा में निर्धारित दर से भण्डार के कक्षों का किराया बसूला जायेगा।
7. उच्चतम नीलामी बोली के अतिरिक्त नियमानुसार बिकी एवं अन्य कर अलग से वसूला जायेगा।
8. समस्त नीलामी प्रकिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को निहित होगा। उक्त के सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नही होगा।
9. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र संस्थान परिसर में लाना पूर्णतः प्रतिबन्ध है।
10. समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद पीलीभीत होगा।
11. यह सूचना www.pilibhit.nic.in बेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।
12. नीलामी प्रकिया में भाग लेने वाले को कोविड–19 के समस्त नियमो का पालन करना अति आवश्यक है। तथा सौशल डिस्टेसिंग और बिना मास्क के संस्थान परिसर में प्रवेश नही दिया जायेगा।

प्रधानाचार्य

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पीलीभीत।